



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1932 (श10)

(सं0 पटना 25) पटना, सोमवार, 31 जनवरी 2011

सं0 3/सी05-231/07-106  
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

संकल्प

13 जनवरी 2011

विषय:-अबंदोवस्त दुकानों को बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्तर से संचालित कराने के विकल्प को समाप्त करने एवं इस निमित्त विभागीय संकल्प सं0 3/सी05-296/08 (खंड)-396, दिनांक 05 फरवरी 2010 में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।

राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से "बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब/बीयर तथा कंपोजिट शराब की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति की बंदोवस्ती नियमावली, 2007" लागू है जो विभाग के संकल्प सं0 2703, दिनांक 07 जून 2007 से संचारित है। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से इस संकल्प में दो बार अल्प संशोधन हुए हैं जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 905, दिनांक 07 मार्च 2008 तथा 396, दिनांक 05 फरवरी 2010 के द्वारा संशोधित समग्र संकल्प संचारित हुए हैं।

उक्त संकल्प की कंडिका-13 में इस बात का प्राक्धान निरूपित है कि जो दुकानें किसी कारणवश बंदोवस्त नहीं हो सकेगी वैसी दुकानों को बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित किया जायेगा।

विगत वर्षों में अबंदोवस्त दुकानों के संचालन का आदेश बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने पर उनके द्वारा आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं का अभाव बताते हुए इसे उदार शर्तों पर कमीशन एजेंटों से संचालित कराने का प्रस्ताव विभाग को दिया गया जो राजस्व हित में नहीं होने के कारण विभाग के लिए स्वीकार करना कठिन था क्योंकि इसका दुष्परिणाम आगामी बंदोवस्ती पर पड़ता जो लॉटरी से की जाती है। बंदोवस्ती के इच्छुक उम्मीदवार लॉटरी से बंदोवस्ती लेने के बजाय दुकानों के अबंदोवस्त रह जाने की प्रतीक्षा करते ताकि वे उन्हें आसान शर्तों पर बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेशन लिमिटेड से ले सकें।

खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती की नई नीति वर्ष 2007 में लागू किये जाने के बाद प्रतिवर्ष बंदोवस्त दुकानों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 में जहाँ 3988 दुकानें बंदोवस्त हुई थी वहीं, 2009-10 में 4589 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में 5180 दुकानें बंदोवस्त हुई हैं। चालू वर्ष में बंदोवस्ती का प्रतिशत 93.25 है। सरकार की मद्य-निषेध नीति को देखते हुए बची हुई अबंदोवस्त दुकानों को बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेशन लिमिटेड से चलवाने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है तथा यह वांछनीय भी नहीं है; क्योंकि आम धारणा बन गई है कि दुकानें काफी संख्या में खुल चुकी हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 3/सी05-396/08 (खंड)-396, दिनांक 05 फरवरी 2010 की कंडिका-13 में संशोधन करने का निर्णय लेते हुए उसमें अंतर्निहित अंश "जो दुकानें किसी कारणवश बंदोवस्त नहीं हो सकेंगी, वैसी दुकानों को बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जायेगा" को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है तथा उसके स्थान पर निम्नांकित वाक्यांश प्रतिस्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है:-

"चालू एवं आगामी वित्तीय वर्षों में अबंदोवस्त रह जाने वाले खुदरा उत्पाद दुकानों की नियमानुसार बंदोवस्ती की सतत् प्रक्रिया एवं प्रयास विभागीय स्तर पर जारी रखी जायेगी"

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 25-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>